



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त छोटू पुत्र वहीद खां नि0 मु0 पत्थर थाना कोतवाली भिण्ड जनपद भिण्ड म0प्र0 के विरुद्ध थाना कोंच में मु0अ0सं0- 546/15 धारा 394 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.02.2024 को मान0 एडीजे/स्पेठ डकैती कोर्ट उर्द्द, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त छोटू उपरोक्त को 08 वर्ष का कठोर कारावास 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिश्नल महेश्वर
विक्रम सिंह



कोर्ट पैरोकार आरक्षी हुदेश कुमार